

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 22 जनवरी, 2024

इस मामले में:

रि.या.(सि.) 10193/2022 और सि.वि. आ. 29509/2022.
52778/2023

सी.पी.आई.ओ./आयकर उपायुक्त छूट मुख्यालय,
नई दिल्ली

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता और श्री संजीव मेनोर,
कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, श्री विवेक
गुरनानी, अधिवक्ता

बनाम

गिरिश मित्तल

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री प्रणव सचदेवा, श्री जतिन
भारद्वाज और सुश्री आकृति,
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रामोनियम प्रसाद

निर्णय

1. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ)/आयकर उपायुक्त छूट मुख्यालय, नई दिल्ली ने केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) द्वारा पारित दिनांक 27.04.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख

किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को छूट आवेदन संख्या सी.आई.टी. (छूट), दिल्ली/2019-20/80जी/11528 में और प्रत्यर्थी द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) आवेदन के तहत पीएम केयर्स फंड से संबंधित अनुमोदन प्रदान करने वाली फाइल टिप्पणियों की प्रतियों में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। सी.पी.आई.ओ. और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को इस आधार पर उक्त जानकारी से इनकार कर दिया गया था कि मांगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

2. वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए अन्य तर्कों के बीच मुख्य तर्क यह है कि आयकर से संबंधित किसी भी निर्धारिती से संबंधित कोई भी जानकारी केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के तहत निर्धारित तरीके से मांगी जा सकती है (इसके पश्चात "आई.टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके पश्चात "आर.टी.आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत नहीं। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया दूसरा तर्क यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के तहत छूट प्राप्त है और चूंकि मामला पीएम केयर्स फंड से संबंधित है, इसलिए पीएम केयर्स फंड की सुनवाई के बिना इसे प्रकटित नहीं किया जा सकता था।

3. वर्तमान रिट याचिका में नोटिस 07.07.2022 पर जारी किया गया था। अभिवचन पूरे हो चुके हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन का कहना है कि आयकर अधिनियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में आयकर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी भी निर्धारित से संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वह आवेदन प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान उपायुक्त को निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए और जिस प्राधिकारी को आवेदन दायर किया गया है, उसे यह संतुष्ट करना होगा कि मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में है और प्राधिकरण के संतुष्ट होने के बाद ही जानकारी प्रकट करना सार्वजनिक हित में है, क्या वह जानकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। उनका कहना है कि चूंकि आयकर अधिनियम के तहत एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इसलिए सी.पी.आई.ओ. जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है क्योंकि यह आयकर अधिनियम की धारा 138 (2) के अधिदेश के विपरीत हो सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(ज) द्वारा प्रभावित होगी क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित है। वे आगे कहते हैं कि सी.आई.सी. ने इस सवाल पर विनिर्णय या न्यायनिर्णय नहीं दिया है कि मामले में कौन सा सार्वजनिक हित शामिल है जो संरक्षित हित से अधिक होगा और उक्त मुद्दे पर निर्णय लिए बिना, सी.आई.सी. याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी देने का निर्देश नहीं दे सकता था, और इसलिए जब केंद्रीय

लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.), डी.सी.आई.टी. (छूट) और अपीलीय प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है। उन्होंने आगे कहा कि सी.आई.सी. ने इस सवाल पर भी गौर नहीं किया है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत है या नहीं और उक्त मुद्दे पर निर्णय लिए बिना कि जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की नहीं है, इस प्रकार सी.पी.आई.ओ. और अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय गलत है और सी.आई.सी. को उस आदेश को पारित नहीं करना चाहिए था जिसे तत्काल रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/जनहित आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राधिकारी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने में अत्यधिक सार्वजनिक हित है। उनका कहना है कि पीएम केयर्स फंड को जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। उनका कहना है कि पीएम केयर्स फंड एक पूर्ण निधि है जिसकी स्थापना कोविड-19 महामारी या इसी तरह की किसी भी आपात स्थिति के दौरान जनता को राहत प्रदान करने के लिए की गई है। उनका तर्क है कि आयकर विभाग ने 27.03.2020 को आई.टी. अधिनियम की धारा 80छ के तहत आयकर पर छूट देने के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा दिए गए आवेदनों को मंजूरी दी। उनका कहना है कि प्रत्यर्थी यह जानना चाहता है कि इस तरह के त्वरित अनुमोदन प्रदान करने में आयकर विभाग द्वारा अपनाई गई सटीक प्रक्रिया क्या है और यह देखना चाहता है कि क्या इस तरह के अनुमोदन प्रदान करने में आयकर विभाग द्वारा किसी नियम

या प्रक्रिया को पारित किया गया था। वह आगे कहता है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी में कोई व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम के तहत दी जा सकती है। उनका कहना है कि आर.टी.आई. अधिनियम और आई.टी. अधिनियम के प्रावधानों के बीच विसंगति है। उनका कहना है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद आर.टी.आई. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव किसी भी अन्य विधि पर होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्थिति में यदि एक ही जानकारी प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक आयकर अधिनियम के तहत और एक आर.टी.आई. अधिनियम के तहत, तो इनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर जानकारी प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। उनका कहना है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती है और आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्राधिकारी आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आई.सी.एस.आई. बनाम पारस जैन, (2019) 16 एस.सी.सी. 790 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्राधिकारियों से संपर्क करने वाले व्यक्ति को आर.टी.आई. के तहत प्राधिकारियों

द्वारा उक्त जानकारी से इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नियम भी शुल्क के भुगतान पर उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। उक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कंपनी सचिव संस्थान के रुख को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत भी जानकारी दी जा सकती है और सूचना चाहने वाले के लिए यह खुला है कि वह उस प्रक्रिया के तहत निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध तरीकों में से किसी एक को चुन सके जिसके तहत जानकारी मांगी गई है।

7. अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।
8. आई.टी. अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार है:

"138. निर्धारित के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण—

(1)

(क) इस संबंध में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है या प्रस्तुत करने का कारण बन सकता है-

(i) कोई भी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी भी कर, शुल्क या उपकर को लागू करने से संबंधित किसी भी विधि के तहत कोई भी कार्य अधिरोपित करता है, या विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए जैसा कि [विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (42/1999) की धारा 2 के खंड (ढ) में परिभाषित किया गया है]; या

(i) ऐसा अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय किसी अन्य विधि के तहत कार्य कर रहा है, जैसा कि केंद्र सरकार, यदि उसकी राय में सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, ऐसी कोई भी जानकारी [इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन में किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त], बोर्ड या अन्य आयकर प्राधिकारी की राय में, अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय को उस विधि के तहत अपने कार्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है।

(ख) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त या किसी भी निर्धारिती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या प्रधान उपायुक्त या उपायुक्त को आवेदन करता है], प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या प्रधान उपायुक्त या उपायुक्त, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, तो वह मांगी गई जानकारी दे सकता है, या दिलवा सकता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, प्रथागत प्रथाओं और रीति-रिवाजों या किन्हीं अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, निदेश दे सकेगी कि ऐसे निर्धारितियों के वर्ग से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में या ऐसे प्राधिकारियों को छोड़कर, जो आदेश विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी लोक सेवक द्वारा कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। (जोर दिया गया)

9. आई.टी. अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन में किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त या किसी भी निर्धारिती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या उपायुक्त को आवेदन करता है, प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या प्रधान

उपायुक्त या उपायुक्त, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, तो मांगी गई जानकारी प्रस्तुत कर सकता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। आई.टी. अधिनियम की धारा 138 (2) में एक गैर-अस्थाई खंड है जिसमें कहा गया है कि उप-धारा (1) या उस समय लागू किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, प्रथागत प्रथाओं और उपयोगों या किसी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि किसी लोक सेवक द्वारा निर्धारिती के ऐसे वर्ग से संबंधित मामलों के संबंध में या ऐसे प्राधिकरणों के अलावा जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं, कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

10. आर.टी.आई. अधिनियम में धारा 22 के रूप में एक गैर-अस्थाई खंड भी है, जो निम्नानुसार है:

"धारा 22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (19/1923) और उस समय लागू किसी अन्य विधि या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।"

11. आयकर अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो देश में आयकर और अति-कर से संबंधित सभी प्रावधानों और विधियों को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर, आर.टी.आई. अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है जो नागरिकों को

सूचना के अधिकार का एहसास कराने में सक्षम बनाने के लिए जानकारी प्रदान करने से संबंधित है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(च) के तहत जानकारी को परिभाषित किया गया है। आर.टी.आई. अधिनियम के तहत, पहले सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांगी जाती है और आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी (एस.पी.आई.ओ.) को जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है। आर.टी.आई. आवेदन का निपटारा आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित तरीके से किया जाता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(ज) व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अवांछित उल्लंघन का कारण बनती है, जब तक कि सी.पी.आई.ओ. या एस.पी.आई.ओ. या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि जहां सी.पी.आई.ओ. या एस.पी.आई.ओ. आर.टी.आई. अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का प्रकटीकरण करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, तो सी.पी.आई.ओ. या एस.पी.आई.ओ. तीसरे पक्ष को सूचना के अनुरोध और इस

तथ्य के बारे में सूचित करने के लिए नोटिस देगा कि सी.पी.आई.ओ./एस.पी.आई.ओ. उक्त जानकारी का प्रकटीकरण करने का इरादा रखता है और फिर केवल आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित तरीके से निर्णय लेगा। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार है:

"धारा 11. तीसरे पक्ष की जानकारी।

(1) जहां कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का प्रकटीकरण करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुरोध और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का प्रकटीकरण करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा और जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की ऐसी प्रस्तुति को ध्यान में रखा जाएगा:

बशर्ते कि विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों के लिए किसी भी संभावित नुकसान या क्षति से अधिक महत्व रखता है।

(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष को उप-धारा (1) के तहत नोटिस दिया जाता है, तो तीसरे पक्ष को, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर, प्रस्तावित प्रकटीकरण के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उप-धारा (2) के तहत अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया है, तो इस बारे में निर्णय लेगा कि सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का प्रकटीकरण करना है या नहीं और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना देगा।

(4) उप-धारा (3) के तहत दिए गए नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि तीसरा पक्ष, जिसे नोटिस दिया गया है, निर्णय के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील करने का हकदार है। (जोर दिया गया)

12. दोनों अधिनियमों के पठन से पता चलता है कि आर.टी.आई. अधिनियम और आई.टी. अधिनियम के प्रावधानों के बीच विसंगति है। इसलिए, जो सवाल विचार के लिए उठता है वह यह है कि कौन सा अधिनियम प्रबल होगा।

13. आम तौर पर, यदि दो गैर-अस्थाई खंड हैं तो बाद वाला खंड पहले वाले पर हावी होता है। साथ ही, अन्य कानूनों पर किसी अधिनियम की प्रयोज्यता और अध्यारोही प्रभाव का निर्णय केवल संबंधित अधिनियम के लागू होने पर नहीं किया जा सकता है और यह न्यायालयों को समझना और व्याख्या करना है कि कौन सा अधिनियम दूसरे पर प्रबल होगा। वर्तमान मामले में, इस

न्यायालय की राय में, आई.टी. अधिनियम, जो देश में आयकर और अति-कर से संबंधित सभी प्रावधानों और विधियों को नियंत्रित करने वाला एक विशेष अधिनियम है, आर.टी.आई. अधिनियम पर प्रबल होगा जो एक सामान्य अधिनियम की प्रकृति में है।

14. एल.आई.सी. बनाम डी. जे. बहादुर, (1981) 1 एस.सी.सी. 315 में, बोनस की पात्रता से संबंधित प्रश्न पर एल.आई.सी. और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"50. इस मुद्दे को हल करने से पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक उत्तर की मांग करता है, वह यह है कि क्या एल.आई.सी. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और आई.टी. अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है ताकि बाद वाला पहले वाले को उस सीमा तक निरस्त या प्रबल कर सके। एक विशेष अधिनियम से हमारा क्या तात्पर्य है और, विचाराधीन दो अधिनियमों की योजना में, हम किसे विशेष अधिनियम मान सकते हैं और किसे सामान्य? एक निहित निरसन अंतिम न्यायिक शरण है और जब तक कि उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जाता है, शायद ही कभी इसका सहारा लिया जाता है। निर्णायक बिंदु यह है कि क्या आई.टी. अधिनियम को सामान्य अधिनियम के रूप में विस्थापित या खारिज किया जा सकता है। यदि यह हो सकता है और यदि एल.आई.सी. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, तो अपीलकर्ता द्वारा प्रतिपादित तर्क कि आई.टी. अधिनियम पर अपने निर्वाह के आधार पर समझौता एल.आई.सी. अधिनियम की धारा 11 और धारा 49, सह पठित विनियमन 58 के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यह अभ्यास मुझे उस विशिष्ट विवाद के संदर्भ में दो कानूनों की योजना का अध्ययन करने के लिए विवश करता है जिससे मैं निपट रहा हूँ।

51. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलआईसी अधिनियम, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से पता चलता है, इस उद्देश्य के लिए स्थापित निगम को ऐसे सभी व्यवसाय को स्थानांतरित करके भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रदान करने और निगम के व्यवसाय के विनियमन और नियंत्रण के लिए प्रदान करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य निजी बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना करना था। अनिवार्य रूप से, अधिनियम ने निगम के कार्यों को स्पष्ट किया, जिसमें मौजूदा जीवन बीमा व्यवसाय को निगम को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया और विस्तार से बताया गया कि निगम का प्रबंधन, वित्त, खाते और लेखा परीक्षा कैसे की जानी चाहिए। संयोग से, बीमाकर्ताओं के मौजूदा कर्मचारियों की सेवा को निगम में स्थानांतरित करने का प्रावधान था और उप-संयोग से, उनकी सेवा की शर्तों के लिए भी प्रावधान किया जाना था। प्रबंधन के सभी मामलों को शामिल करते हुए विनियम बनाने की शक्ति भी उपयुक्त प्राधिकारियों में निहित थी। यह स्पष्ट और विवाद से परे है कि जहां तक बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का संबंध है, एल.आई.सी. अधिनियम एक विशेष विधान है, लेकिन समान रूप से निर्विवाद रूप से, विषय, योजना और धाराओं के अवलोकन और अधिनियम की शारीरिक संरचना की समझ से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवादों की विशेष समस्या, या ऐसे विवादों की जांच और न्यायनिर्णयन से कोई लेना-देना नहीं है। यह श्रमिकों और श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों या औद्योगिक विवादों से नहीं निपटता है। निगम के पास ऐसे कर्मचारियों की फौज है जो कामगार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उच्च अधिकारी और अन्य प्रकार के कर्मचारी आई.डी. अधिनियम की धारा 2(ध) में परिभाषित श्रमिकों के दायरे में नहीं आते हैं। न ही निगम की मुख्य व्यावसायिक जांच और श्रम विवादों का निर्णय एक मोटर निर्माता के मुख्य व्यवसाय से अधिक रंगों का छिड़काव है।

52. यह निर्धारित करने में कि कोई विधान विशेष है या सामान्य, ध्यान मुख्य विषय-वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए। कुछ उद्देश्यों के

लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम विधि के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं। विधि में, हमारे पास सापेक्षता का एक ब्रह्मांड है, निरपेक्षता का नहीं - जीवन में भी ऐसा ही है। आई.डी. अधिनियम एक विशेष परिनियम है जो पूरी तरह से औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए समर्पित है जो इसके दायरे में आने वाले औद्योगिक विवादों की प्रकृति के लिए परिभाषित रूप से प्रदान करता है। यह औद्योगिक विवादों की जांच, समाधान और न्यायनिर्णयन के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करता है। यह पंचाटों और परिनिर्धारणों को लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र भी प्रदान करता है। अल्फा से लेकर ओमेगा तक आई.डी. अधिनियम का एक विशेष उद्देश्य है - विशेष प्रक्रियाओं के अनुसार विशेष एजेंसियों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का समाधान और श्रमिकों की परिभाषा के भीतर आने वाले कर्मचारियों की कमजोर श्रेणियों के विशेष संदर्भ में। इसलिए, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों के संदर्भ में, आई.डी. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, और एल.आई.सी. अधिनियम श्रमिकों के विशिष्ट संदर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं करता है। दूसरी ओर, इसकी शक्तियां राष्ट्रीयकरण के सामान्य पहलुओं से संबंधित हैं, प्रबंधन के जब निजी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और समस्याओं की बहुलता होती है, जिसमें संयोग से, बीमाकर्ताओं के मौजूदा कर्मचारियों की सेवा का हस्तांतरण शामिल होता है। श्रमिक और श्रमिक और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद एल.आई.सी. अधिनियम की योजना में किसी विशिष्ट या विशेष स्थान के दायरे से बाहर हैं। और जब भी श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद होता था तो आई.डी. अधिनियम तंत्र का सहारा लिया जाता था।

53. वर्तमान मामले में हम किस बात का सामना कर रहे हैं, ताकि मैं यह निर्धारित कर सकूँ कि दोनों अधिनियमों के बीच कौन सा विशेष है? एकमात्र विषय जो इस मुकदमे का कारण बना है और जो पक्षकारों के बीच विवाद का मूल है, वह निगम और उसके श्रमिकों के बीच एक औद्योगिक विवाद है। यदि हम विधिक अस्पष्टता से भ्रमित होने से इनकार करते हैं और स्पष्ट रूप से देखते हैं कि इतना स्पष्ट क्या है, तो मेरे द्वारा किए गए अध्ययन के मद्देनजर जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि श्रमिकों और

निगम के बीच समझौते की समाप्ति पर "औद्योगिक विवादों" की तुलना में, आई.डी. अधिनियम एक विशेष विधान है और एल.आई.सी. अधिनियम एक सामान्य विधान है। इसी तरह, जब राष्ट्रीयकरण पर मुआवजे का सवाल है, तो एल.आई.सी. अधिनियम विशेष परिनियम है। अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों और निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धांत का अनुप्रयोग इस बात में हमें कोई संदेह नहीं रखता है कि आई.डी. अधिनियम विशेष विधि होने के कारण एल.आई.सी. अधिनियम पर हावी है जो कि सामान्य विधि है।

54. मैं उद्धरणों के माध्यम से इस निष्कर्ष से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं हाल के एक मामले से संतुष्ट हूँ, जिसमें निकटता से संबद्ध प्रश्न से निपटने वाला यह न्यायालय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। [उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम एच.एस. जैन, (1978) 4 एस.सी.सी. 16: 1978 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 481:(1979) 1 एस.सी.आर. 355] वहाँ जो समस्या उत्पन्न हुई वह यह थी कि क्या औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेश, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (ग) द्वारा निहित विशिष्ट शक्ति के तहत विद्युत बोर्ड द्वारा की गई सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में विनियमों के खिलाफ प्रबल थे, जिसे औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के खिलाफ एक विशेष विधि होने का तर्क दिया गया था। इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ) ने चिन्नाप्पा रेड्डी, न्या. के माध्यम से कहा: [वहीं, पृ. एस.सी.सी. पृ.27: एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) पृ. 491: एससीआर 365-66] [एस.सी.सी. पृ.27: एस.सी.सी. (एल एंड एस) पृ. 491, पैरा 8]

सामान्य विशिष्ट से अलग नहीं होता सूत्र काफी प्रसिद्ध है। सूत्र के नियम को मैरी सेवार्ड बनाम "वेरा क्रूज़" के मालिक [परिनियम विधि, 1963 संस्करण, पृ. 376-77] में इस प्रकार समझाया गया है:

"अब यदि कुछ भी निश्चित है यह है कि जहां बाद के अधिनियम में सामान्य शब्द हैं जो पहले के विधान द्वारा विशेष रूप से निपटाए गए विषयों तक विस्तारित किए बिना उचित और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग करने में सक्षम हैं, तो आपको यह अभिनिर्धारित नहीं करना है कि पहले के और

विशेष विधान को अप्रत्यक्ष रूप से केवल ऐसे सामान्य शब्दों के बल से निरस्त, परिवर्तित या अपमानित किया गया है, ऐसा करने के लिए किसी विशेष इरादे का कोई संकेत नहीं है।”

55. जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उ.प्र. राज्य [ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1170, 1174: (1961) 3 एस.सी.आर. 185: (1961) 1 एलएलजे 540 : (1960-61) 19 एफ.जे.आर. 436] में, पृ.1174 पर इस न्यायालय ने कहा:

“यह नियम कि सामान्य प्रावधानों को विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होना चाहिए, अधिवक्तागण और न्यायाधीशगण द्वारा बनाया गया एक मनमाना सिद्धांत नहीं है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं की आम समझ से उत्पन्न होता है कि जब एक ही व्यक्ति दो निर्देश देता है-एक सामान्य रूप से बड़ी संख्या में मामलों को शामिल करता है और दूसरा केवल उनमें से कुछ को-तो उसका इरादा यह है कि ये बाद के निर्देश इनके संबंध में प्रबल होने चाहिए, जबकि बाकी सभी के संबंध में पहले के निर्देश प्रभावी होने चाहिए।

हम पहले ही दिखा चुके हैं कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो एक विशिष्ट विषय से संबंधित है, अर्थात् औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की अनुसूची में उल्लिखित सेवा की शर्तों से संबंधित है। यह कल्पना करना असंभव है कि संसद ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के प्रावधानों को निराकृत होने की मांग की क्योंकि वे श्रमिकों के कठिन परिश्रम और बहुमूल्य अधिकारों को लागू करते हैं और बिजली (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 79 (ग) जैसे सामान्य, आनुषंगिक प्रावधान द्वारा अर्ध-न्यायिक निर्धारण सहित एक विस्तृत प्रक्रिया करते हैं। यह स्पष्ट है कि संसद के पास बिजली (आपूर्ति) अधिनियम पारित करने के समय स्थायी आदेश अधिनियम नहीं था और संसद का यह मतलब कभी नहीं था कि स्थायी आदेश अधिनियम को बिजली आपूर्ति अधिनियम की धारा 79 (ग) द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि स्थायी आदेश अधिनियम के प्रावधान उन मामलों

के संबंध में बिजली आपूर्ति अधिनियम की धारा 79 (ग) पर प्रबल होने चाहिए, जिन पर स्थायी आदेश अधिनियम लागू होता है।”

में सम्मानपूर्वक सहमत हूँ और अपने समक्ष लगभग समान स्थिति के तर्क और निष्कर्ष को लागू करता हूँ और मानता हूँ कि आई.डी. अधिनियम विशेष रूप से श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच औद्योगिक विवादों से संबंधित है और एल.आई.सी. अधिनियम, जैसे कि बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, एक सामान्य अधिनियम है जो श्रमिकों के विवादों पर चुप है, भले ही यह निजी बीमा व्यवसाय के अधिग्रहण को विनियमित करने वाला एक विशेष परिनियम हो।

56. अपीलकर्तागण द्वारा एक प्रशंसनीय निवेदन किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, कि एल.आई.सी. अधिनियम में कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में प्रावधान हैं और यदि आई.डी. अधिनियम प्रबल माना जाता है तो वे निरर्थक होंगे। यह दोगुना गलत है। एक बात के लिए, धारा 11 और 49 के प्रावधान सामान्य प्रावधान हैं जो एक वैधानिक निगम (जैसे नगरपालिका या विश्वविद्यालय) को अपने कुल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की भर्ती और निर्धारण करने की शक्ति देते हैं- "श्रमिकों" के संबंध में कुछ भी विशेष नहीं। बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज मामले में यह न्यायालय (7 न्यायाधीशों की न्यायपीठ) [(1978) 2 एस.सी.सी. 213, 232: 1978 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 215, 234] और बहुत पहले डी.एन. बनर्जी बनाम पी.आर. मुखर्जी (5 न्यायाधीशों की न्यायपीठ) [(1952) 2 एस.सी.सी. 619: ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 58: 1953 एस.सी.आर. 302: (1953) 1 एल.एल.जे. 195] ने अभिनिर्धारित किया है कि आई.डी. अधिनियम उन निकायों द्वारा नियोजित श्रमिकों पर लागू होता है जब विवाद उत्पन्न होते हैं। यदि कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया गया तो सामान्य प्रावधान अभी भी अन्य क्षेत्रों और यहां तक कि श्रमिकों पर भी लागू होगा। दूसरा, अनावश्यक शब्दों का कोई मामला सामने नहीं आया क्योंकि निगम, एक विश्वविद्यालय की तरह, न केवल श्रमिकों बल्कि अन्य लोगों को भी नियुक्त करता था और उनकी सेवा की शर्तों को

विनियमित करने के लिए, शक्ति की आवश्यकता थी। पुनः, ऐसी स्थितियों में जहां कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, नियोक्ता को रोजगार की शर्तों को तय करने की शक्ति निहित करनी पड़ी। यह एक सामान्य प्रकार का एक सामान्य प्रावधान है, न कि एक औद्योगिक विवाद का निपटान करने के लिए एक विशेष प्रावधान।

57. जो विशेष या सामान्य है वह पूरी तरह से विषय और संदर्भ का एक प्राणी है और स्थिति, परिस्थितियों और दृष्टिकोण के साथ भिन्न हो सकता है। विधि कोई संक्षेपीकरण नहीं है, बल्कि वास्तविकताओं के जीवित परिवेश में खुद को महसूस करता है। जो एक विशेष प्रावधान है और कौन सा सामान्य, विशिष्ट समस्या पर निर्भर करता है, निर्णय के लिए विषय, न कि व्यापक शीर्ष और न ही अनुभवसिद्धि का कोई नियम। दोनों विधानों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यदि संभव हो तो, प्रत्येक को लागू करने के लिए आवंटित क्षेत्र की अनुमति देकर सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यांत्रिक कठोरता नहीं, बल्कि संवेदना और संवेदनशीलता लचीला समाधान देती है। मेरे लिए यह सोचना मुश्किल है कि जब पूरे औद्योगिक क्षेत्र, यहां तक कि नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषदों और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक विवादों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आई.डी. अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है, तो संसद निगम के लिए एक ऐसा नखलिस्तान प्रदान करती जहां श्रम मांगों को एकतरफा रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है। धारा 11 और 49 के सामान्य शब्दों को प्रासंगिक रूप से श्रमिकों और निगम के बीच औद्योगिक विवादों को शामिल नहीं करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, लॉर्ड हाल्डेन ने 1915 ए.सी. 885 (891) [वाटनी कॉम्बे रीड एंड कंपनी बनाम बर्नर्स, 1915 ए.सी. 885 : 84 एलजे केबी 1561 : 113 एल.टी. 518] ने देखा कि: [राजनीतिक परंपरा : लॉर्ड चांसलर्स, 1912-1940, पृ.221, में उद्धृत किया गया है]

“कुछ मामलों में सामान्य शब्दों की उचित व्याख्या शाब्दिक या सामान्य अर्थ के अलावा किसी अन्य अर्थ या दायरे के रूप में की जा सकती है।

उनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है जहां विधायिका की भाषा से प्रकट होने वाली योजना, अपनी संपूर्णता में पढ़ने पर, किसी भी संदर्भ से अलग, या सामान्य कानून से अलग अर्थ में संशोधन की आवश्यकता के रूप में स्थिरता की ओर इशारा करती है।

न्यायिक दासता द्वारा व्याख्यात्मक साक्षरता के लिए अर्थहीनता और अन्याय से बचना न्यायालय का एक कार्य है और इससे मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि जहां विवाद उत्पन्न होते हैं, वहां आई.डी. अधिनियम मार्गदर्शन करता है और जहां अन्य मामलों का संबंध है, एल.आई.सी. अधिनियम मार्गदर्शन करता है। वैधानिक व्याख्या के क्षेत्र में कोई लचीले सूत्र या त्रुटिहीन तंत्र नहीं हैं। भावना और संवेदनशीलता, व्यवस्था और योजना, दृष्टिकोण और उद्देश्य-ये न्यायाधीश को सच्चे इरादे और अर्थ की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। सामाजिक न्याय की विधिक गतिशीलता भी न्यायालयों को उस प्रकार की परिणियमों में मार्गदर्शन करती है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। ये बहुविध विचार मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि आई.डी. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जब औद्योगिक विवाद, पंचाट और निपटान विवाद का विषय हैं, जैसा कि यहाँ है। ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जहां अन्य परिणियमों की तुलना में एल.आई.सी. अधिनियम एक विशेष विधि होगा। मैं अब ऐसी काल्पनिक स्थितियों से चिंतित नहीं हूँ।”

(जोर दिया गया)

15. उक्त अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, आई.टी. अधिनियम की धारा 138 (1)(ख) और खंड 138 (2) जो आई.टी. अधिनियम के तहत किसी तीसरे पक्षकार से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करती है, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 को अभिभावी करेगी। इसमें प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से आई.टी. अधिनियम की धारा 138 (1)(ख) के अंतर्गत आती है। इसलिए, ऐसी

जानकारी का खुलासा करने से पहले प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या प्रधान उपायुक्त या उपायुक्त की संतुष्टि आवश्यक है। माँगी गई जानकारी को प्रकट करने के लिए सामान्य अधिनियम के तहत किसी अन्य प्राधिकरण को उस संतुष्टि को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

16. उक्त निर्णय का अनुपालन शीर्ष न्यायालय द्वारा राकेश कुमार गुप्ता बनाम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.), 2007 एस.सी.सी. ऑनलाइन सी.आई.सी. 315 में किया गया है।

17. मुख्य सूचना उपायुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय, (2020) 4 एस.सी.सी. 702, जब आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके गुजरात उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतियों की जानकारी प्रस्तुत करने पर एक मुद्दा उठाया गया था, तो शीर्ष न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों का सहारा लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"35. आर.टी.आई. अधिनियम के सर्वोपरि खंड का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत बनाए गए उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों का निहित निरसन नहीं है; लेकिन केवल विसंगति के मामले में इसका अधिभावी प्रभाव पड़ता है। एक विशेष अधिनियम या नियम को बाद के सामान्य अधिनियम द्वारा केवल इसलिए अभिभावी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाद वाला एक सर्वोपरि खंड के साथ शुरू होता है, जब तक कि दोनों विधानों के बीच स्पष्ट विसंगति न हो। इस संबंध में, हम आर.एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य [आर.एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, (1992) 1 एस.सी.सी. 335: 1992 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 286] में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें उच्चतम

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृ. 356-57, पैरा 38)

“38. अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ [अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ, (1984) 3 एस.सी.सी. 127 : 1984 एस.सी.सी. (एल. एंड. एस.) 355], सब्यसाची मुखर्जी, न्या. (उनके प्रभुत्व के रूप में) इस प्रकार माना: (एस.सी.सी. पृ. 153, पैरा 38)

“38... जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है कि यदि योजना को वैध माना जाता है, तो सवाल यह है कि सामान्य विधि क्या है और विशेष विधि क्या है और संघर्ष की स्थिति में कौन-सी विधि प्रबल होगी और इसके लिए "साधारण कथन विशेष स्थान का अल्पीकरण नहीं करते" सिद्धांत को लागू करना आवश्यक होता। दोनों परिनियमों के बीच टकराव के मामले में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि बाद वाला पहले वाले को निरस्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, यदि निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक पूरी होती है, तो पहले की विशेष विधि बाद की सामान्य विधि के अधीन हो जाएगी:

“(i) दोनों एक दूसरे के साथ असंगत हैं।

“(ii) बाद के अधिनियम में पहले के अधिनियम का स्पष्ट उल्लेख है।”

यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो बाद की विधि, भले ही सामान्य हो, प्रबल होगी।”

(जोर दिया गया)

18. वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उक्त सादृश्य को लागू करते हुए, आई.टी. अधिनियम की धारा 138 (1)(ख), जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि एक निर्धारिती से संबंधित जानकारी केवल प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य

उपायुक्त या प्रधान उपायुक्त या उपायुक्त की संतुष्टि के अधीन आपूर्ति की जा सकती है, जो भी मामला हो, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 पर प्रबल होगी।

19. इसमें उठाए गए मुद्दे का निपटारा सी.आई.सी. की तीन सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा किया गया है, जो इस न्यायालय की राय में उस न्यायपीठ के लिए बाध्यकारी है जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है। जी.आर. रावल बनाम आयकर महानिदेशक (जांच), 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन सी.आई.सी. 1008 में सी.आई.सी. के तीन उपायुक्तों की न्यायपीठ ने इसी मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"15. इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 दोनों सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित हैं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित एक सामान्य विधि है, आयकर अधिनियम की धारा 138 एक विशेष विधि है जो कर निर्धारकों से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित है। इस आयोग ने राकेश कुमार गुप्ता बनाम आई.टी.ए.टी. मामले में 18 सितंबर, 2007 को एक पूर्ण न्यायपीठ द्वारा तय किए गए निर्णय में सामान्य विधि के अपवर्जन के लिए विशेष विधि के लागू होने के मुद्दे पर विचार किया है। आयोग ने "चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला – ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 2322" में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। आयोग के उक्त निर्णय के निम्नलिखित दो अनुच्छेद प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार उद्धृत किए गए हैं:

37. इसलिए, किसी विशेष अधिनियम या नियम को बाद में पारित किसी सामान्य अधिनियम द्वारा अधिभावी या केवल इसलिए निरस्त नहीं माना जा सकता कि बाद में पारित होने वाला अधिनियम गैर-

अस्थाई खंड के साथ आरंभ होता है, जब तक कि दोनों विधानों के बीच स्पष्ट असंगति न हो - एक जो समय के क्रम में बाद में पारित हुआ है और दूसरा जो एक विशेष अधिनियम है। यह मुद्दा फिर से चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला - ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 2322 मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दो लैटिन सूत्र के संदर्भ में ब्रूम के विधिक सूत्र को निम्नलिखित शब्दों में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया:

“फिर, यह एक प्रारंभिक नियम है कि एक पूर्ववर्ती अधिनियम को बाद वाले को स्थान देना चाहिए, यदि दोनों का मिलान नहीं किया जा सकता है लेकिन निहितार्थ द्वारा निरसन का कभी भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, और बिना किसी आवश्यकता या मजबूत कारण के विधायिका के समक्ष आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे पक्षकार द्वारा दिखाया जाना चाहिए। यह केवल तभी प्रभावी होता है जब बाद के अधिनियम के प्रावधान पहले के प्रावधानों के साथ इतने असंगत या प्रतिकूल होते हैं कि दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं; जब तक कि दोनों अधिनियम एक-दूसरे के लिए इतने स्पष्ट रूप से प्रतिकूल न हों कि एक ही समय में दोनों को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, एक निरसन निहित नहीं किया जा सकता है; और विशेष अधिनियमों को सामान्य अधिनियमों द्वारा तब तक निरस्त नहीं किया जाता है जब तक कि पिछले विधान के लिए कुछ स्पष्ट संदर्भ न हो, या दोनों अधिनियमों में एक साथ खड़े होने के लिए आवश्यक विसंगति न हो, जो अधिकतम सामान्यता विशेष को अलग (जोर दिया गया) करने से रोकता है। जहां बाद के अधिनियम में सामान्य शब्द हैं जो पहले के विधान द्वारा विशेष रूप से निपटाए गए विषयों पर विस्तार किए बिना उचित अनुप्रयोग करने में सक्षम हैं, तो, उस प्रभाव के लिए किसी विशेष इरादे के संकेत की अनुपस्थिति में, यह धारणा है कि

सामान्य शब्दों का उद्देश्य पहले के और विशेष विधान को निरस्त करना या व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के विशेष विशेषाधिकार को छीनना नहीं था।”

38. उपरोक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराजा प्रताप सिंह बहादुर बनाम ठाकुर मनमोहन डे - एम.ए.एन.यू./एस.सी./0202/1966 मामले में पहले के एक निर्णय का भी अनुमोदन के साथ हवाला दिया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि पहले की विशेष विधि को केवल निहितार्थ से निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर, निहित निरसन के बारे में तर्क को ऊपर बताए गए दोनों कारणों से खारिज कर दिया जाना चाहिए।”

औचित्य ने मांग की कि सी.आई.सी. को बड़ी न्यायपीठ की राय का पालन करना चाहिए था, जो उस पर बाध्यकारी है।

20. प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी आयकर विभाग के सी.पी.आई.ओ. से मांगी गई है न कि पी.एम. केयर्स फंड से। याचिकाकर्ता यहां पीएम केयर्स फंड को एक प्राधिकरण के रूप में नहीं मानता है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्षकार से संबंधित है, इसलिए पीएम केयर्स फंड की सुनवाई होनी चाहिए थी। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित किया गया है कि किसी तीसरे पक्षकार से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा उक्त तीसरे पक्षकार को नोटिस देने के बाद ही किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सी.आई.सी. को प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई

जानकारी देने का आदेश देने से पहले आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

21. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पारस जैन (पूर्वोक्त) पर रखी गई निर्भरता वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगी। उक्त मामले में संस्थान के नियमों और आर.टी.आई. अधिनियम के बीच कोई विसंगति नहीं थी। उक्त मामले में प्राथमिक आपत्ति यह थी कि संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क अधिक था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वही जानकारी आर.टी.आई. के मंच का उपयोग करके मांगी जा सकती थी, जिसका शुल्क थोड़ा कम है, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह आवेदक के लिए था कि वह किसी भी मंच से संपर्क करे। वर्तमान मामले में, सवाल यह उठा कि क्या आई.टी. अधिनियम की धारा 138 (2), जिसमें एक गैर-अस्थाई खंड भी शामिल है, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 को अधिभावी करेगी या नहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई.टी. अधिनियम की धारा 138(1)(ख) यह अनिवार्य करती है कि किसी निर्धारिती से संबंधित जानकारी केवल प्रधान मुख्य उपायुक्त या मुख्य उपायुक्त या प्रधान उपायुक्त या उपायुक्त की संतुष्टि के अधीन आपूर्ति की जा सकती है, यह कहा जा सकता है कि आई.टी. अधिनियम की धारा 138(2) आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 पर प्रबल होगी।

22. इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि सी.आई.सी. के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 138 में प्रदान की गई जानकारी को प्रस्तुत

करने का निर्देश देने की अधिकारिता नहीं है। किसी भी मामले में, भले ही उनके पास अधिकारिता होती, पीएम केयर्स सुनवाई की सूचना न देना, अपने आप में आक्षेपित मामले को गलत साबित कर देता।

23. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और 27.04.2022 दिनांकित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

न्या. सुब्रामोनियम प्रसाद

22 जनवरी, 2024

राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।